

जावीद अहमद  
आई0पी0एस0



डी.जे.परिपत्र सं०-43/2016

पुलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ

फोन नं. 0522-2206104 फैक्स नं.-2206120

सीयूजी नं. 9454400101

ई-मेल : police.up@nic.in

वेबसाइट : <https://uppolice.gov.in>

दिनांक:लखनऊ: जुलाई 21, 2016

प्रिय महोदय,

कृपया मेरे द्वारा विभिन्न जोनल बैठकों में जनपदीय/इकाईयों से पुलिस कर्मियों को अनावश्यक कार्यालयों एवं मिसलेनियस ड्यूटियों से छुट्टनी कर अधिक से अधिक संख्या में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के कार्यों में तैनाती किये जाने पर बल दिया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के क्रम में विभिन्न शाखाओं में जन शक्ति का मानक भी निर्धारित किया गया था, जिसके अनुरूप आपके द्वारा कार्यवाही कर जनशक्ति के सदुपयोग की ओर ध्यान दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन, अन्य राजपत्रित अधिकारियों के कार्यालयों तथा पुलिस थानों से जनपद के अन्दर तथा जनपद के बाहर डाक एवं सम्मन वितरण हेतु पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 7275 पुलिसकर्मी प्रतिदिन नियुक्त होते हैं, जिनका पुलिस की मुख्य ड्यूटियों में उपयोग नहीं हो पाता है।

2- इस सम्बन्ध में इलाहाबाद जोन एवं आगरा जोन में डाक एवं सम्मन वितरण की पर्यायी व्यवस्था करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट किये गये हैं, जिसके अच्छे परिणाम आये हैं। जनपद कौशाम्बी जैसे छोटे जनपद में प्रतिदिन डाक ड्यूटियों से 04 उप निरीक्षक, 01 मुख्य आरक्षी एवं 26 आरक्षियों की बचत की जा रही है तथा इन्हे अपराध नियंत्रण से सम्बन्धित ड्यूटियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर्यायी व्यवस्था में सीसीटीएनएस में उपलब्ध थ्यू मेल की सुविधा एवं रजिस्टर्ड डाक का मुख्य रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

3-इस पायलट की सफलता के दृष्टिगत 01 अगस्त 2016 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जाना है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आपको जोन स्तर पर उत्तरदायित्व सौपा जा रहा है। इसके सफल क्रियान्वयन हेतु श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, जनपद कौशाम्बी को मुख्य मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनके द्वारा दिनांक 27.07.2016 को जनपद इलाहाबाद की पुलिस लाइन में प्रातः 11.30 बजे से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसमें आप सभी अपने अधीनस्थ प्रत्येक परिक्षेत्र से एक-एक योग्य पुलिस उपाधीक्षक को भेजना सुनिश्चित करें, जो

प्रशिक्षण के उपरान्त परिक्षेत्र के समस्त जिलों के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। इन दोनों प्रशिक्षणों के उपरान्त कृपया 01 अगस्त 2016 से डाक डियूटियों में नियुक्त पुलिस कर्मियों की सुनियोजित तरीके से पर्यायी व्यवस्था को लागू कर बचत करना सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ०प्र०, लखनऊ को दिनांक 15.08.2016 एवं दिनांक 31.08.16 को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

4- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके एवं अधीनस्थ परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के 'वार्षिक कार्य मूल्यांकन आख्या' में इस कार्य को वार्षिक लक्ष्य (Annual Target) के रूप में भी निर्धारित किया जा रहा है तथा सभी के वार्षिक मूल्यांकन के समय उनके द्वारा किये गये प्रयासों को वार्षिक गोपनीय मन्तव्य में अवश्य प्रकट किया जायेगा।

5- अतः इस आदेश का अधीनस्थों से पालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय  
21.7.16  
(जावीद अहमद)

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, (नाम से)

उत्तर प्रदेश पुलिस।

प्रतिलिपि:

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था उ०प्र०, लखनऊ को अपने स्तर से पर्यवेक्षण हेतु प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक उ०प्र० को प्रस्तर-4 के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिदेशक के सहायक उ०प्र०, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक उ०प्र० को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही/अनुपालन हेतु प्रेषित।
5. समस्त जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद इलाहाबाद को उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण हेतु समस्त तैयारियाँ समय से कराये जाने हेतु प्रेषित।
7. पुलिस अधीक्षक, जनपद कौशाम्बी को कृपया तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।